(12)

194

(1)

समक्ष न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश जबलपुर कैंप

राजस्व निगरानी वाद कमांक .... /2017.

निगरानी/मण्डला/भू.रा./2017/3456

4125

नन्दकिशोर पटेल आत्मज स्व. श्री दादनलाल पटेल

उम्र 70 वर्ष निवासी 10 कृष्णा कालोनी आश्रम मार्केट

सामने पश्चिमी घमापुर जबलपुर मध्यप्रदेश । .... याचिकाकर्ता

श्री प्रमोद तिवारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
18 SEP 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

// विरूद्ध //

1. श्रीराम पटेल आ0 स्व. दादनलाल पटेल उम्र 67 वर्ष
2. आनन्द किशोर पटेल आ0 स्व. दादनलाल पटेल उम्र 60 वर्ष
3. श्रीमति मालती पटेल उम्र करीब 48 वर्ष

तीनो निवासी ग्राम सकवाह कला तहसील नैनपुर थाना बम्हनी बंजर

जिला मण्डला मध्यप्रदेश । .... प्रत्यर्थीगण

निगरानी/पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा : 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

याचिकाकर्ता माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष श्रीमान विद्वान अधिनस्थ कमिश्नर न्यायालय जबलपुर संभाग के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 333/अ –27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–9–2017 के विरूद्ध निम्नानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत कर रहा है –

:: प्रकरण के तथ्य ::

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता अधिनस्थ कमिश्नर न्यायालय जबलपुर संभाग के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 333/अ–27 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–9–2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 1 सलंग्न कर पेश कर रहा है जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की जा रही है ।

[signature]

I | निग0 | अपील | ग्र.रा0 | 2017 | 3456

31-10-17

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 333/15-16 अ-27 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2017 के विरूद्व मध्य प्रदेशभू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक को को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। उन्होंने बताया कि ग्राम सकवाह कला की कुल किता 9 कुल रकबा 6.622 है. भूमि का सहमति बटवारा तहसील के प्रकरण नंबर 34 अ 27/ 13-14 में पारित आदेश दिनांक 28-2-15 से हुआ था जिसकी अपील एस0डी0ओ0 नैनपुर के यहां होने पर प्रकरण कमांक 21 अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 9-11-15 से निरस्त हुई थी, किन्तु क्योंकि बटवारा सहमति के आधार पर था परन्तु आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 12-9-2017 से गलत आधारों पर अपील स्वीकार करके तहसील न्यायालय प्रकरण सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित करने मे

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 1–निग0/मण्डला/भू.रा./2017/3456

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हं
	भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर सहमति बटवारे को यथावत् रखते हुये आयुक्त के आदेश को निरस्त किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यदि सहमति बटवारा हुआ है तब उसकी अपील क्यों हुई ? यदि अपील हुई है स्पष्ट है पक्षकार सहमत नहीं है जिसके कारण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 333/15–16 अ–27 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–9–2017 से पक्षकारों को सुनने एंव पुर्नजांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसके फलस्वरू‍प सभी पक्षकारों को तहसील न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो एंव आवेदक जिन तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहा है वह तदाशय की मांग लेखी दस्तावेजों से मौखिक साक्ष्य से तहसील न्यायालय में दावा प्रमाणित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी मे हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	